उत्तराखण्ड शासन
श्रम विभाग

संख्या /VIII/15–40 (श्रम)/2008
देहरादून : दिनांक 15 जुलाई, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 4 की उप धारा (1) के खण्ड (एक) व (तीन) सपठित धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या–2694/VIII/40–श्रम/2008 दिनॉक 27 नवम्बर, 2008 का अधिक्रमण करते हुए शासनादेश संख्या– 1317/VIII/15–40(श्रम)/2008 दिनांक 06 जनवरी, 2015 के अनुक्रम में उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन गठित समिति की संस्तुतियों पर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सम्यक् विचारोंपरान्त इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तराखण्ड में कृषि के अनुसूचित नियोजन में नियोजित अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्नवत निर्धारित एवं पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. कृषि के अनुसूचित नियोजन में नियोजित अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिये वयस्क श्रमिकों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 253 अंक पर निम्नवत होंगी:–

कृषि कार्य का प्रकार	प्रवर्तन क्षेत्र	वयस्क श्रमिकों के लिये मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2	3
(1) भूमि को जोतना और बोना, किसी कृषि वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, कृषि उपज को मण्डी के लिए तैयार करना और भण्डार या मण्डी में देना या मण्डी तक परिवहन के लिए पहुचाने का कार्य, सभी आकार के फार्मों में जिनमें अधिसूचित क्षेत्र नगरपालिका या छावनी परिषद् की सीमाओं के छः किलोमीटर के भीतर स्थित फार्म भी सम्मिलित हैं, मशरूम की खेती सहित कृषि कर्म के आनुसांगिक रूप में या उसके साथ–साथ की जाने वाली क्रियायें। (2) वन सम्बधी या काष्ठ उपकरण सम्बन्धी क्रियायें जो किसी कृषक द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य के आनुसांगिक रूप में या उसके साथ–साथ की जाती है । (3) दुग्ध उद्योग, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन ओर उनकी आनुसांगिक क्रियायें ।	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड	5200.00 रू0 प्रतिमाह या 200.00 रू0 प्रतिदिन

25/7/15

Yadav

मु०प्र०अ०/सहायक/उप/अपर/श्रम आयुक्त

आयरी सं० 457

2. **परिवर्तनीय महंगाई भत्ताः—**
औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के अंक 253 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को रू0 20.00 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः वर्ष में दो बार अप्रैल और अक्टूबर से पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नगद या कर्मचारी की सहमति से जिसमें अंशतः नकद या अंशतः जिन्स में इस प्रकार किया जा सकता है कि मजदूरी का कुल मूल्य किसी भी दशा में विहित न्यूनतम मजदूरी से कम न होगा।

4. मजदूरी की प्रति घण्टे दरें दैनिक दर के 1/26 भाग से कम नहीं होगी। ?

5. प्रति घण्टा मजदूरी की दर दैनिक दर के 1/6 से कम नहीं होगा।

6. कृषि नियोजन की उन प्रक्रियाओं में, जहाँ ट्रेक्टरों, थ्रेसिंग एवं हारवेस्टिंग मशीनों का प्रयोग किया जाता है और जहाँ चैफ कटिंग का कार्य किया जाता है, जिनमें बाल श्रमिकों का नियोजन निषिद्ध है, को छोड़कर अन्य शेष कृषि कार्यों में किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दरें किसी वयस्क श्रमिक को अनुमन्य कालानुपाती दर से कम नहीं होगी।

7. महिला तथा पुरूष श्रमिकों को समान मजदूरी देय होगी।

8. मजदूरी की उपरोक्त दरें किसी भी प्रकार किसी श्रमिक के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होंगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी है) अधिक हैं, तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानों उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी को न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।

9. यदि कोई नियोजक किसी श्रमिक को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूर्व से कर रहा है, तो इस अधिसूचना के अनुसार समय–समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के भुगतान के लिये वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अन्तर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्तव में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरणः—

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी श्रमिक की न्यूनतम मूल मासिक मजदूरी रू0 5200.00 है और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 50.00 है और इस प्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी रू0 5250.00 होती है और उस दिन किसी नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के श्रमिक को रू0 5225.00 प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़े हुये परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर रू0 5225.00 से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल रू0 25.00 के अन्तर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

10. जहां किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे श्रमिकों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर या उसके बिना ठेका श्रमिकों के माध्यम से कराया जा रहा है तो ऐसे ठेका श्रमिक भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों के समान इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय महंगाई भत्ता सहित) के हकदार होंगे।

(आर0 के0 सुधांशु)
सचिव

संख्या 430 /VIII/15–40(श्रम)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को असाधारण गजट में इस अनुरोध के साथ प्रकाशनार्थ प्रेषित कि कृपया मुद्रित अधिसूचना की 50–50 प्रतियाँ शासन तथा श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड हल्द्वानी को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
3. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक, श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. सूचना निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अक्षत गुप्ता)
अपर, सचिव